(vi) केन्द्रीय क्षेत्र में अनुत्तरदायी शासन :- कमीशन ने केन्द्रीय शासन व्यवस्था में कोई आमूल परिवर्तन नहीं सुझाया। केन्द्रीय व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन बाद में जब देश की व्यवस्था का संघीय आधार पुनर्गठन हो जाए, तब हो सकते हैं।

(vii) केन्द्रीय विधानमंडल :- कमीशन के अनुसार संघ व्यवस्था का निर्माण करने से केन्द्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। केन्द्रीय विधानमंडल में प्रान्तों व देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। केन्द्रीय विधानमंडल का उच्च सदन राज्यसभा को संघीय आधार पर गठित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय विधानमंडलों द्वारा परोक्ष रीति से किया जा सकता है।

भारतीय जनता द्वारा साइमन रिपोर्ट को अस्वीकार किये जाने के कारण :-

(i) रिपोर्ट में भारतीयों की डोमिनियन स्टेटस की माँग की पूर्ण उपेक्षा की गई थी।

(ii) केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गयी थी।

(iii) प्रान्तों में उत्तरदायी मंत्रिमंडल की स्थापना का प्रावधान तो किया गया था लेकिन प्रान्तीय गवर्नरों को कुछ ऐसी विशेष शक्तियाँ प्रदान करने की सिफारिश की गई जिससे उत्तरदायी शासन मजाक बनकर रह जाता।

(iv) रिपोर्ट में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को पूर्ववत जारी रखने की सिफारिश की गई।

(समाप्त)

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी० के० कॉलेज, डुमराँव
दिनांक- 16/08/20

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

मार्ले-मिण्टो सुधार अथवा भारत सरकार अधिनियम, 1909 ①

(MORLEY-MINTO REFORMS OR THE GOVERNMENT OF INDIA ACT, 1909)

———— × ————

परिचय (Introduction) :- 1892 के अधिनियम द्वारा कौंसिलों में भारतीयों को स्थान देने तथा कौंसिलों में निर्वाचित सदस्यों को स्थान देने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया था, परन्तु यह अधिनियम भी भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में विफल साबित हुआ। कहा जाता है कि कांग्रेस की मांगों के फलस्वरूप ही यह अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के पारित होने के बाद भी कांग्रेस आगे मांगे करती रही। देश में राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा। लोगों में उग्रवाद की भावना ने जन्म ले लिया था जिससे कारण कांग्रेस तथा जनता में अंग्रेजों की ढोंगी न्याय प्रियता से विश्वास उठने लगा था जिससे सरकार की खुले आम आलोचना होने लगा जिसके कारण सन 1909 ई० में मार्ले-मिण्टो सुधार योजना का निर्माण हुआ जिसे भारत सरकार अधिनियम 1909 एवं मार्ले मिण्टो सुधार भी कहा जाता है। 1909 ई० में ही ब्रिटिश संसद ने इसकी स्वीकृति प्रदान की।

1909 के अधिनियम के पारित होने के कारण (Causes of the passing of 1909 Act) :- भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा उत्पन्न की हुई परिस्थिति का सामना करने के लिए 1909 के मार्ले-मिण्टो सुधार एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इस अधिनियम के पारित होने के निम्नलिखित कारण इस प्रकार थे :-

(i) सन 1892 के अधिनियम के प्रति असंतोष (Dissatisfaction with the act of 1892) सन 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधार इतने व्यापक और प्रभावशाली नहीं थे कि वे भारतीय जनमानस को संतुष्ट कर पाते। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान परिषदों के अधिकार क्षेत्र अत्यन्त सीमित थे और उनके सदस्यों की शक्तियों पर जैसे बजट के पृथक-पृथक मदों पर मतदान नहीं करने, विदेश नीति पर आलोचना नहीं करने, कार्यपालिका से पूरक प्रश्न नहीं पूछने इत्यादि का अधिकार बिल्कुल नहीं था।

(ii) भारतीयों की असाधारण विपत्तियाँ :- सन 1896 के दुर्भिक्ष से हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। मदद करने की बात तो अलग थी उल्टे आपत्तिजनक व्यवहार से लोगों में क्रांति भर दिया जिससे क्रुद्ध होकर महाराष्ट्र के दामोदर-चापेकर ने प्लेग कमिश्नर मि० रैंड (Mr. Rand) और एक सैनिक अधिकारी लेफ्टिनेन्ट आयर्स्ट (Lt. Ayerst) को गोली मार दी। दामोदर-चापेकर को मृत्यु दण्ड जनता को भड़काने के आरोप में तिलक को कठोर कारावास दिया गया। 1899 में एक और भीषण अकाल पड़ा जो काफी विनाशकारी सिद्ध हुआ जिससे राजनीतिक क्रांति उत्पन्न हो गई। 1897 में प्लेग से 2 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई,

(iii) [illegible] (Attitude of Lord Curzon) :- सन 1898 से 1905 तक लार्ड [illegible] रहे। उन्होंने भारतीयों की भावनाओं की परवाह किए

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

(ix) आतंकवादी घटनाएँ :- (Terrorist Activities) :- देश के अनेक भागों में आतंकवादी घटनाएँ घटने लगी। सन 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की गाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किया। इसके बाद ढाका के डिप्टी कमिश्नर मि० एलेन (Mr. Allen) पर गोली चलाई, लेकिन वह बच गया। 30 अप्रैल 1908 को एक बम फेंकने से मुजफ्फरपुर के सैशन जज के स्थान पर दो अंग्रेज स्त्रियाँ मारी गई। पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, चेन्नई आदि में भी इसी प्रकार की घटनाएँ हुई। सरकार ने इस अशान्ति को दूर करने के लिए संविधान में सुधार करना आवश्यक समझा।

मार्ले-मिण्टो सुधार अधिनियम की विशेषताएँ Features of Morley-Minto Reforms Act) :-

(i) केन्द्रीय विधानपरिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि (Expansion of the Central Legislative Council) इस एक्ट द्वारा केन्द्रीय लेजिस्लेटिव कौंसिल की सदस्य संख्या में वृद्धि (16 से 60) कर दिया अर्थात 9 पहले से था जिससे कुल संख्या 69 में 37 सरकारी तथा 32 गैर सरकारी सदस्य सम्मिलित थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 गवर्नर जनरल द्वारा नामजद होते थे और शेष चुने जाते थे।

(ii) विधानपरिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि (Extension of legislative councils Member) :- इस अधिनियम ने प्रान्तीय विधान परिषदों का भी विस्तार किया मुंबई, बंगाल, चेन्नई के विधानसभाओं की सदस्य संख्या 50 तथा अन्य प्रान्तों का 30 निश्चित किया गया। इनमें सरकारी सदस्यों की अपेक्षा गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक होगी। जिनका निर्वाचन नगरपालिकाओं, जिला मण्डल विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार संघ आदि का निर्वाचन करेंगे।

(iii) विधान परिषद के सदस्यों के कार्यों और अधिकारों में वृद्धि (Increase in functions and Rights of the Members of the Legislative council) सन 1892 ई० के एक्ट के अनुसार Legislative council के सदस्यों को बजट पर वाद-विवाद करने का अधिकार दिया गया था। उनको कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की भी सुविधा दी गई थी लेकिन वे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे।

(iv) मुसलमानों के लिए साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली (Communal Electorates for Muslim) :- मुसलमानों को लेजिस्लेटिव कौंसिलों में उचित प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से इस एक्ट द्वारा साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली का आरम्भ किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए फूट डालो तथा शासन करो (Divide and Rule) की नीति के तहत हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की।

(v) सीमित और भेदभावपूर्ण मताधिकार (Restricted and Discriminatory Functions) :- इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को परिषदों के चुनावों में भाग लेने का अधिकार दिया गया, परन्तु मतदाताओं की योग्यता, जायदाद, करों तथा उनकी उपाधियों पर आधारित की गई जैसे केन्द्रीय विधान परिषद के चुनावों में वे ही जमींदार मत दे सकते थे

REDMI NOTE6 PRO
MI DUAL CAMERA

बिना शासन किया | कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट, इण्डियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, बंगाल (2) विभाजन ने सरकार की प्रति विक्षोभ पैदा कर दिया | इन सबके परिणाम स्वरूप वन्दे-मातरम की गूँज होने लगी |

(iv) **जापान की रूस पर विजय (Victory of Japan over Russia)** :- सन 1905 में एशिया के छोटे से देश जापान ने यूरोप के महान देश रूस को पराजित कर यह बता दिया कि अंग्रेज अजेय नहीं है | जापान ने यह सिद्ध कर दिया कि एशिया का कोई भी स्वतंत्र देश, जिसके नागरिकों में राष्ट्रीय प्रेम, देशभक्ति तथा आत्म बलिदान की भावना हो जापान की तरह महान बन सकता है| भारतीयों में एक नवीन चेतना का संचार हुआ और भारत पुरानी गौरवशाली, सम्पन्न और महान स्थिति को प्राप्त करने की सोचने लगा |

(v) **भारतीयों का विदेशों में अपमान (Humiliation of Indians Abroad)** - दक्षिण अफ्रीका में रहनेवाले भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने तथा घृणा की दृष्टि से देखने लगे | जैसे - अपने नाम से जमीन नहीं खरीदना, मनचाहा दाखिला अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं तथा भारतीयों को सरकारी दफ्तरों में अपने नाम लिखाने और रजिस्टर पर अपनी उँगलियों के निशान देने पड़ते थे |

(vi) **उग्रवादी नेताओं का प्रचार (Propaganda of the Extremist Leaders)** :- कांग्रेस के उग्रवादी नेता लाल, बाल और पाल ने अपने पत्रों द्वारा भारतीयों को वीर, साहसी तथा निडर बना दिया| लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने आरम्भ किए इन उत्सवों द्वारा उन्होंने देशवासियों को देशभक्ति का संदेश दिया और यह नारा दिया कि 'स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा' |

(vii) **मार्ले - मिण्टो की नियुक्ति (Appointment of Minto and Morley)** भारत में बढ़ते हुए असंतोष को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लार्ड कर्जन को वापस बुलाकर लार्ड मिंटो को भारत का गवर्नर जनरल बनाया | इसके एक माह बाद ही कुछ छूट देने के पक्ष में थे जिससे भारत में शांति स्थापित हो सके | भारत मंत्री जॉन मार्ले ने लार्ड मिंटो को पत्र लिखकर भारतीय संविधान में सुधार करने के लिए कहा | मिंटो स्वयं भी कांग्रेस के विरुद्ध एक ऐसी संस्था खड़ा करना चाहते थे जो अंग्रेजों की सहायता करे |

(viii) **1906 के मुस्लिम शिष्ट मंडल की माँगे (Demand of the Muslim Deputation)** :- ब्रिटिश नौकरशाही ने अलीगढ़ कालेज के प्रिंसिपल मि० आर्चबोल्ड (Mr. Archbold) के माध्यम से मुस्लिम नेताओं को यह समझाने की चाल चली कि उन्हें कौंसिलों में अपने सम्प्रदाय के उचित प्रतिनिधित्व के लिए पृथक चुनाव पद्धति तथा जनसंख्या की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व की माँग करनी चाहिए | कु बाद आगा खाँ के नेतृत्व में 35 व्यक्तियों का शिष्टमंडल गवर्नर जनरल से मि जिसकी माँगों पर गवर्नर जनरल ने अपनी ओर से सहायता करने का आश्वासन दिया |

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA